

**बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।**

पत्र संख्या— रा0खा0सु0मि0को—05 / 2019—

644

/ कृ0, पटना, दिनांक 13/12/2019

**शुद्धि पत्र**

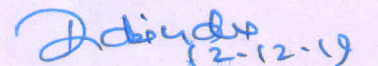
कृषि विभाग के राज्यादेश संख्या—रा0खा0सु0मि0को—05 / 2019—303 दिनांक—06.11.2019 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल तथा वाणिज्यिक फसल (गन्ना एवं जूट) के उत्पादन कार्यक्रम का चालू एवं अगले वित्तीय वर्षों में योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्रांश मद में रुपये 6405.892 लाख (चौसठ करोड़ पाँच लाख नवासी हजार दो सौ), राज्यांश मद में रुपये 4270.595 लाख (बयालिस करोड़ सत्तर लाख उनसठ हजार पाँच सौ) एवं राज्य योजना टॉप अप मद में रुपये 310.792 लाख (तीन करोड़ दस लाख उनसी हजार दो सौ) कुल 10987.279 लाख (एक सौ नौ करोड़ सतासी लाख सताइस हजार नौ सौ) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके निम्नलिखित कंडिकाओं में अंकित आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है—

| राज्यादेश की कंडिका संख्या                                                                                                    | स्वीकृत आदेश                                                                                                                            | संशोधित आदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वीकृत्यादेश पत्र 303 दिनांक 06.11.2019 की कंडिका 16 में वर्णित सारणी की क्र0 संख्या 5 के अंतिम कॉलम में संशोधन किया जाता है | 500.00 रुपये प्रति क्वी0 अथवा वास्तविक मूल्य का 50% में जो कम हो।                                                                       | 1500.00 रुपये प्रति क्वी0 अथवा वास्तविक मूल्य का 50% में जो कम हो।                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| स्वीकृत्यादेश पत्र 303 दिनांक 06.11.2019 की कंडिका 17 में वर्णित सारणी के कालम 5 में संशोधन किया जाता है                      | राज्यांश मद (रा0खा0सु0मि0) अन्तर्गत प्रस्तावित अतिरिक्त अनुदान दर (लाख रु0/क्वी0)                                                       | राज्य योजना मद से स्वीकृत अतिरिक्त अनुदान दर (लाख रु0/क्वी0)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्वीकृत्यादेश पत्र 303 दिनांक 06.11.2019 की कंडिका 17 में वर्णित सारणी के अंतिम कॉलम में संशोधन किया जाता है                  | राज्यांश मद (रा0खा0सु0मि0) अन्तर्गत प्रस्तावित अतिरिक्त अनुदान सहायता (लाख रुपये में)                                                   | राज्य योजना मद से स्वीकृत अन्तर्गत प्रस्तावित अतिरिक्त अनुदान सहायता (लाख रुपये में)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| स्वीकृत्यादेश पत्र 303 दिनांक 06.11.2019 की अनुसूची-15 की कंडिका 4 के अंतिम पारा में परिवर्तन किया जाता है                    | इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन की प्राप्ति, निष्पादन एवं अनुदान राशि का भुगतान कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के आधार पर ऑन लाईन किया जायेगा। | इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुवेवल श्रेसिंग पलोर (एच0डी0पी0ई0 लेमिनेटेड वोभेन फेब्रीक टारपोलीन शीट) आवेदन की प्राप्ति, निष्पादन एवं अनुदान राशि का भुगतान कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के आधार पर ऑन लाईन किया जायेगा एवं पॉली हरमेटिक सेव ग्रेन बैग का वितरण इच्छुक किसानों से आवेदन प्राप्त कर कृषि पदाधिकारी द्वारा कार्यान्वयन किया जायेगा। |

2. शेष कंडिकाएँ एवं शर्तें यथावत रहेगी।
3. उक्त में सचिव, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।







(रवीन्द्र नाथ राय)  
विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।



ज्ञापांक -

644

/कृ०, पटना दिनांक 13/12/2019

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Aditya*  
12-12-19

विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

644

/कृ०,

पटना, दिनांक 13/12/2019

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Aditya*  
12-12-19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

644

/कृ०,

पटना, दिनांक 13/12/2019

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Aditya*  
12-12-19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

644

/कृ०,

पटना, दिनांक 13/12/2019

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/संबंधित कार्यपालक अभियंता, वर्क्स डिवीजन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

*Aditya*  
12-12-19

विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।